



राजस्थान रोजगार संधेधा

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 49 अंक 10

Website: <http://employment.rajasthan.gov.in>

1 जुलाई, 2026

मूल्य : 3.00

वार्षिक शुल्क 60 रु

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(215)RSSB/अर्थना/CET Sr. Sec./2026

दिनांक : 23.06.2026

-: विज्ञापन संख्या 08/2026:-

-:: समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 :-:

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 तथा संशोधित के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी)-2026 के लिए निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्देशनों के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा	वनपाल
2.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलों अधीनस्थ सेवा	अज्ञातवासी अधिकारी
3.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निष्कारक शाखा)	जमादार ग्रेड-II
4.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा	कांस्टेबल
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड-II
6.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा	लिपिक ग्रेड-II
7.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा	कनिष्ठ सहायक
8.	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिकवर्गीय सेवा	कनिष्ठ सहायक
9.	राजस्थान पंचायती राज	कनिष्ठ सहायक
10.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा)	कनिष्ठ सहायक
11.	राजस्थान कृषि उपज मंडी/संघी सचिवालय (कर्मचारी) सेवा	कनिष्ठ सहायक
12.	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राजस्थान कर्मचारी (संशोधन) सेवा विनियम	लिपिक ग्रेड-II
13.	राजस्थान राज्य प्रमुख निबंधक बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम	कनिष्ठ सहायक
14.	जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा	कनिष्ठ सहायक

नोट:-राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 तथा संशोधित के अलावा प्राणीय विकास एवं पंचायत राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.09.2023 के क्रम में राजस्थान पंचायती राज सेवा के कनिष्ठ सहायक एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 07.06.2023 एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा) अधिनियम 1977 में संशोधन के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सेवा) के कनिष्ठ सहायक, कृषि (एच-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के क्रम में राजस्थान कृषि उपज मंडी (संघीय सचिवालय कर्मचारी) सेवा के कनिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी (संशोधन) सेवा विनियम, 2024 के आदेश दिनांक 22.08.2024 के क्रम में लिपिक ग्रेड-II। एवं राजस्थान राज्य प्रमुख निबंधक बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा संशोधित की अधिसूचना दिनांक 28.08.2024 के क्रम में कनिष्ठ सहायक, जयपुर विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 21.11.2024 के क्रम में कनिष्ठ सहायक पद को समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 में शामिल किया गया है।

समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:-

1. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 में सम्मिलित पर पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। किसी अन्यथा का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अंशित कर लेना मात्र ही उसे नौकरों की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एप्लीकेशन द्वारा संशोधित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अंशित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकृत अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये विभागीय नियमों एवं परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार करीया के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जायेगी।

2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से तीन वर्ष के लिये मान्य होगा।

3. बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुये हैं SSO ID पर प्रकाशित किये जायेंगे तथा सकल घोषित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

4. समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, अगर स्कोर की वैधता समाप्त नहीं हुई हो। पूर्व समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2024 की स्कोर की अंशित परिणाम की दिनांक से एक वर्ष दिनांक 16.02.2026 को पूर्व हो जाने से समाप्त हो चुकी है। अतः पूर्व समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2024 के अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा।

5. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.08.2024 द्वारा समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्भूत किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संशोधित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंको में 5 प्रतिशत तक स्थितीकृत उपलब्ध होगा।

6. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में क्या विहित है।

7. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पद सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)-2026 में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि, यदि कोई हो, के संबंध में भर्ती पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिये अनुसूचित किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपचारणा मान्यता का पात्र नहीं बनायेगा।

1. **ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-**बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र डिवाइस/जन सुविधा केंद्र/स्वयं के माध्यम से भर जा सका है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकवर्षीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके रजिस्ट्रार शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भर्ती गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य भरें हुए मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से करें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिह्न (visible body mark) भरना अनिवार्य है।

बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रमाणित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश विज्ञापन एवं सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दस्तावेजों का भर्ती प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन करें।

OTR दस्तावेजों के ODV सेवरन में अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता का भुगतान साबधानीपूर्वक करें। भर्ती विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट वेडिटेड सेवरन में अपलोड किए जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, भर्ती विज्ञापन दिनांक के अनुसार है, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें। स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व दस्तावेजों की, भर्ती विज्ञापन दिनांक के अनुकूलता एवं सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि किसी भी स्तर पर प्रदान की गई जानकारी गलत, अपूर्ण या भ्रामक पायी जाती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 एवं भर्ती/विज्ञापन नियमों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(क्रमशः)

(क्रमशः)

- (क्रमशः)

उम्मीदवार आगु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में घूट निम्न प्रकार देव होगी:-

- आगु सीमा में घूट से प्रभावित -
(क) सामान्य वर्ग की महिला अर्धवर्षिकों के मामले में 5 वर्ष की घूट दी जायेगी।
(ख) अनुपुष्टित जाति/अनुपुष्टित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पुरुष अर्धवर्षिकों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की घूट दी जायेगी।
(ग) अनुपुष्टित जाति/अनुपुष्टित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अर्धवर्षिकों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की घूट दी जायेगी।
- इस सेवा की किसी पद पर अर्थात् नियुक्त व्यक्ति अगर प्राथमिक नियुक्ति के समय आगु सीमा में थे, तो उन्हें 2 अक्षर दिए जायेंगे।
- भूमिपूरे केडी जो वर्तित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौखिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आगु सीमा लागू नहीं होगी।
- उस भूमिपूरे केडी के मामले में जो अपनी योग्यता के पूर्व अधिकारु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिर्खित अधिकतम आगु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारवाय की कालावधि के बराबर की अवधि की घूट दी जायेगी।
- एन.सी.सी. के केहेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आगु सीमा में उसके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर घूट दी जाएगी और यदि पारंपरिक आगु विहित अधिकतम आगु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आगु सीमा में ही समझा जाएगा।
- राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकर्ताओं के संबंध में सेवानिवृत्त जाति के अधिकारी (Substantive) हैरायल से कार्य कर रहे हैं की उपर्युक्त आगु सीमा 40 वर्ष होगी।
- रिजल्व्ड इन्फैन्टरी कमीशनर ऑफिसर/सीट सॉल्व कमीशनर सेवा में कमीशन प्रदान करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय उसे आगु सीमा पर कर चुके हो, पात्र समझा जायेगा।
- 1987 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पश्चिम में विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आगु सीमा नहीं होगी।
- बर्मा और चीलका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात पूर्वी अफ्रीकी देश तंजीनिया, टांगानिका, युगान्डा और जंबीया के संघलगतित व्यक्तियों के मामले में उपरिर्खित उपर्युक्त आगु सीमा को 45 वर्ष तक विहित किया जायेगा साथ ही अनुपुष्टित जाति या अनुपुष्टित जन जाति के अर्धवर्षिकों के मामले में उसे 05 वर्ष और विहित किया जायेगा।
- पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगान्डा और जंबीया के संघलगतित व्यक्तियों के मामले में कोई आगु सीमा नहीं होगी।
- आयु के आधार-बैर के आधार न आने वाले पदों पर भी के लिए उन व्यक्तियों को, जिसकी रिक्ति के समय में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छुटती कर दी गयी थी, उपर्युक्त आगु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रत्यक्ष छुटकी की गयी थी, प्राथमिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आगु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि नहीं के सामान्य विहित पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण रूप से अनुपलब्धता कर दी जाये और अर्थात्, बर्बर, विकसित अर्थात् आदि से संबंधित समस्त अर्थात् की पूर्ति कर दी जाये तथा उपर्युक्त विकसित या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिया गया अंकी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।
- विभागीय और विभाग-विशेष अधिकारी के मामले में कोई आगु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा नियमित की गई सेवाविशेष आगु से उत्तरी आगु कम हो।
- स्पर्धीकरण** - विभागीय अधिकारी के मामले में उसे किसी समान अधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विभाग-विशेष अधिकारी के मामले में विभाग विशेष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- राजस्थान शिक्षित सेवा (सुपरीवर्ग) श्रेणियों का आदेश) नियम, 1986 को अनुसार भूमिपूरे श्रेणियों को अधिकतम आगु सीमा में 15 वर्ष की घूट देव होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिक्षितकरण के परवर्तन यदि अर्धवर्षिक आगु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उसकी आगु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीपी भती की दशा में जहां किम्बर पद का अनुपलब्धता के वहां 50 वर्ष की अधिकतम उपर्युक्त आगु सीमा लागू होगी। स्पर्धीकरण कार्यक्रम (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान शिक्षित सेवा भूमिपूरे श्रेणियों का प्रमाणिक के होते हुए भी किसी नहीं से संबंधित सेवा नियमों में आगु संबंधी की शिक्षितल अन्य लोक सेवाओं/अपस्थिति को देव है, वह भूमिपूरे श्रेणिक को मिलेगा।
- राजस्थान विद्यालय अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 5(क) में किए गए प्रमाण के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आगु सीमा में विद्यालयजनों को 05 वर्ष की आगु सीमा में घूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयजनों को आगु सीमा में घूट सेवा नियमों में निर्धारित आगु सीमा में घूट के अधिस्तित होगी।

नोट:-

- (क) आगु संबंधी घूट की अधिक जानकारी के लिये संबंधित विभाग के उपरोक्त नियमों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ख) उपरोक्त बिंदु 7 की बाहर, 1 से 13 पर वर्णित आगु सीमा में घूट के प्रभावित "Non Cumulative" है अर्थात् अर्धवर्षिकों को उपरोक्त कार्य 1 से 13 में वर्णित किसी भी एक प्राधान्य का अधिकतम आगु सीमा में घूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राधान्यों को जोड़ कर घूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- 8. पंजीयन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-**
(क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकवर्षीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-पत्र नियंत्रक, जल सुविधा केन्द्र (C.S.C.), गेट बेकिंग, एटीएम, कम बैंकिंग कार्य एवं ऑनलाइन कार्य के माध्यम से जमा कराया जा सकता है।
(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2026 से दिनांक 23.07.2026 यंत्रि 23.59 बजे तक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal पर भर जा सकती है (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इस्तेमाल किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।
- 9. परीक्षा आयोजन** -मान्य पाठ्यक्रम परीक्षा नियंत्रक तैयारी करने पर 2026 की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 23.10.2026 से दिनांक 26.10.2026 तक ऑनलाइन (ओएनआर) आधारित परीक्षा आयोजित कराया जायेगी। परीक्षा की दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।
बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसने सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- 10. प्रवेश पत्र-समस्त अर्धवर्षिकों को बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्रवेश-पत्र SSO Login पर एवं Recruitment Portal के लिंक <https://recruitment.rajabsthan.gov.in/rectlogingetadmitcard> पर जारी किये जायेंगे।** बोर्ड द्वारा आक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र SSO login एवं Recruitment Portal के लिंक <https://recruitment.rajabsthan.gov.in/rectlogingetadmitcard> से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरने के SSO ID बना देंगे।

11. नियुक्ति की अवधारणाएं :-

- (प्रतिस्पर्धी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जाति पत्नी हो चर्चा किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से घूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं।
- किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से घूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं।
- (क) कोई भी विधिवत आवेदन सेवा में निशुल्क करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई बच्चा स्वीकार किया हो।
(ख) अधिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.03.2022 के अनुसार प्राप्त कोई भी अर्धवर्षिक, दिनांक 1-6-2002 को या उसके पश्चात जो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु
I. जो से अधिक संतान तथा अर्धवर्षिक नियुक्ति के लिए पात्र तब तक निर्धारित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जुलै 2002 को है, बच्चे नहीं नहीं होती है।
II. जहां किसी अर्धवर्षिक के पूर्वोक्त प्रवास से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्तत् किसी एक प्रवास से जो एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- किसी अर्धवर्षिक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रवास से पैदा हुई हो और निशुल्कता से पैदा हो।
- कोई अर्धवर्षिक जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निर्धारित नहीं है, उसे निर्धारित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रवास द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- इस उप-नियम के उपबन्ध किसी विवाह और विधिक-विवाह अधिकारी की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी।
- कोई भी अर्धवर्षिक जिसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदनामलिखित (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कर्त-पाट किए हुए जाती दस्तावेज पेश करने या गलत बताने देने या महत्वपूर्ण सूचना विधान या परीक्षा में अनुचित तरीके से जमा में देने या उसे का प्रस्ताव करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके लगाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को जोखिमारी मुकदमा का उत्तरदायी बनाने के निर्धारित, प्रतिक्रिया परीक्षाओं में दोष के लिए, स्वयं को से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु विशेष निर्देश:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट - राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की जीनेलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से गिन राखी की अनुपुष्टित जाति/अनुपुष्टित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (जीनेलेयर एवं नॉन जीनेलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग में अन्तर्गत आते हैं।

सूचना ध्यान दें:-

- आवेदकों को हिरागत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र Final Submit करने से पूर्व बोर्ड की विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर दें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ की अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर दें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पाठ्यक्रम की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में सभी आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित श्रेणी में सही-सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। समस्त प्रयोग्यता पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी गई सूचना को ही सही माना हुवे तक में अर्थात् प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जानकारी आवेदक को होगी।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से गिन श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की परीक्षा नहीं दी जाएगी। वरत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक उस आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी की तरफ पर दृष्ट किया जा सकता है, जिसकी समस्त विधिमोटी आवेदन की होगी अनुपुष्टित जाति/अनुपुष्टित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अर्धवर्षिकों का Online Application Form प्रस्तुत(Submit)करने समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्दिष्ट गौरव में करें अथवा Online Application Form प्रारंभ की अंतिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अर्धवर्षिकों को जो कि उस वर्ग का उत्तरदायी नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का जमा निशुल्क एवं हुत नहीं होगा और या ही इस संका में किसी प्राधान्य-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- किसी भी प्रतिस्पर्धी/प्राज्ञा परीक्षा में पंक्ति (Debar) किये गये आवेदक जिसके पंक्ति (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्रारंभ की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नहीं हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
- बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अर्धवर्षिकों की पात्रता (अनु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन आवेदक पर अवैधता कर दिया जाएगा जिसकी समस्त विधिमोटी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी गई प्राप्तिता में संबंधित की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और या ही इस सम्बन्ध में कोई प्राधान्य पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदक जिसके ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना रहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को कोई द्वारा अनिश्चित (Provisional) रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अधिकार नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान की गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रतिक्रिया बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। अर्थात् तथा से चयन होने की स्थिति में आवेदक को निरुपेक्ष आवेदन को प्रेषित में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा प्राप्त प्रतियों के पात्रता की जांच करते समय यह आगु, स्वीकृत योग्यता तथा अनुपुष्टित जाति/अनुपुष्टित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूमिपूरे श्रेणिक या अन्य शर्तों की पात्रता नहीं करने के कारण यदि अर्धवर्षिक की अपात्रता का भूत बताना है तो इस परीक्षा पूर्व उसकी उम्मीदवारी किसी की तरफ पर दृष्ट की जा सकती है जिसकी समस्त विधिमोटी स्वयं अर्धवर्षिक की होगी।

7. OTR में लाइव फोटोग्राफ Capture करने के लिए दिशा-निर्देश:-

ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो, हस्ताक्षर (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं अंगुठा निशानी ओटीआर से स्वतः FETCH होगी।

आवश्यक फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक को OTR में लाइव फोटो Capture किया जाना आवश्यक है। अर्धवर्षिक या लाइव फोटो ओटीआर से ही आवेदन पत्र पर FETCH होगी।
- लाइव फोटो के लिये 3 सेकंड का Timer को प्रस्ताव अर्धवर्षिक अपनी तरफ को-लीन कर इराकाई, यदि आवेदकी फोटो स्पष्ट आँखों के साथ कैमरा हुई है तो फोटो पुनः कैमरा करें।
- फोटो कैमरा किये जाने समय अर्धवर्षिक सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आज चरण के इस्तेमाल करते हैं तो अपना फोटो चरण के साथ ही ले परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चरण पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैमरा ना हो।
- अर्धवर्षिक सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो स्पष्ट एवं पार्श्व रोशनीय प्रकाश (Enlightened Background) के साथ ली गयी है एवं धुंधली अथवा अंधकारमय (Blurred/Dark) नहीं है।
- जब तक फोटो स्पष्ट ना हो अर्धवर्षिक लाइव फोटो कैमरा कर सकते हैं परन्तु एक बार Final Submit किये जाने के उपरान्त अक्षर देव नहीं होगा।
- फोटो की धुंधलगी (Blackground) स्पष्ट या हल्की रंग की होगी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह लेना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एवं लिर किसी भी कपड़े, धागा, भाती द्वारा ढका हुआ नहीं होगा चाहिए। आवेदक का लिर, आँख, नाक और छोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो में माता या धृत का चरण नहीं होना चाहिए।

(क्रमशः)

- गोपनीयता के समय प्रयोग प्रच/उपस्थिति प्रच पर लगी फोटो आवेक के मेल बानी चाहिए अन्गना उम्मीदवार अंगेय उहरता जा सकत है।
- आवेक द्वाा OTR लई फोटो को फोटो एडिटर प्रच पर किसी भी प्रकार की छेकबाही, फोटो की जलसावाही इत्यादि करने पर अप्पयर्शिता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती। ऐसे प्रकरणों में अप्पयर्शिता एवं फोटो से छेकबाह करे बाद व सित बाद जाने वाले अभिमुख के बिन्दु काटुनी कार्यवाही की जा सकती है।
 - अभेकाल एवं छेकबाह प्रच अंगुला निशानी (Thumb Impression) अप्पलोट करने के लिए दिसा-निर्देश :-
 - आवेक एक सकेज आकार (A4 size) पर 7 सैमी चौड़ाई एवं 2 सैमी ऊँचाई के एक आकाराकर बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
 - हस्ताक्षर एवं अंगुला निशानी केनद आवेक द्वाा किया जाना चाहिए अन्गना सिली व्यक्तित के द्वारा हस्ताक्षर एवं अंगुला निशानी मान्य नहीं होय।
 - आकाराकर बॉक्स में हस्ताक्षर एवं अंगुला निशानी करने के बाद इमेज को सकेज कर आकाराकर बॉक्स बाह ओर करने के परभाव अन्गना-अन्गना ग्यासमान अप्पलोट करें।
 - परीक्षा के समय प्रच प्रच/उपस्थिति प्रच पर कितने नये आवेक के हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन प्रच में अप्पलोटिड हस्ताक्षर से मेल ध्याने चाहिए अन्गना उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर अंगेय उहरता जा सकत है।
 - केनद जेपीएनई (JPG) प्रारूप को सवीकार किया जायूग।
 - जेपीएनई (JPG) के लिए न्युनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 560 होना चाहिए।
 - फाईल का आकार 20 क.बी. से 50 क.बी. तक होना चाहिए।
 - हस्ताक्षर एवं अंगुला निशानी का आकार 50 क.बी. तो ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 - नोईसल को अप्पयर्श कर सित ग्या हस्ताक्षर एवं अंगुला निशानी का फोटोग्राफ सवीकार नहीं किया जायूग।
 - छेकबाह हस्ताक्षर अप्पलोट करने के परभाव अप्पने बाई बाई की अंगुला निशानी ग्यासमान अप्पलोट करना अप्पयर्श होय। यदि बाई बाई का अंगुला नहीं हो तो बाई बाई का अंगुला निशानी अप्पलोट की जानी है।

विशेष टिप्पणी:-

- [illegible]

13. **ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया**— कोई द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष द्वारा एक बार अपना ऑनलाईन आवेदन सफलतापूर्वक समित्त कर दिए जाने के बाद अध्यक्ष को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

- 1 अभ्यधी का नाम
- 2 पिता का नाम
- 3 जन्म तिथि
- 4 स्वयं का फोटोपाक व हस्तालिपि नमूना, अंगूठा का निशान एवं हस्ताक्षर

[illegible]

Checklist देखने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal का चयन करे और "My Recruitment सेवशन का अंतर्गत " Checklist " टैब पर क्लिक करे। उक्त भागों को सहजमे उपलब्ध "View Checklist विकल्प पर क्लिक करके वे अपने आवेदित आवेदन पत्र में विवरण की वैकलिस्ट देख सकते है। अभ्यर्थी को अपने आवेदित आवेदन पत्र की किसी सुचना में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह बोर्ड द्वारा अनुमत एडिट अवधि में अनुमत प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कर लेंगे।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

1. आवेदन पत्र में जो जानकारी OTR से प्राप्त (fetch) हुई है, उसमें संशोधन करने के लिए सबसे पहले OTR प्रोफाइल में सुधार करना आवश्यक है।

2. OTR में जानकारी अपडेट करने के बाद आवेदन पत्र को एडिट करें, ताकि अपडेटेड जानकारी आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो सके, जो जानकारी आवेदन पत्र में OTR से fetched नहीं होती है, उसे सीधे आवेदन पत्र में एडिट किया जा सकता है। OTR में संशोधन हेतु, निम्न लिंक पर उपलब्ध सहायता दस्तावेज (Help Document) का अवलोकन करें:- <https://recruitment.rajasthan.gov.in/frequentlyaskedquestions>

ऑनलाईन आवेदन Final Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अन्त्यार्थ ऑनलाईन आवेदन में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान व इतरलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। तेष सुचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- [illegible]

14. ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहति करने की प्रक्रिया—नाई द्वारा एक विद्यार्थी में उत्तरवर्तित रैकमिण्ड कोय्यता अम्मी संवेचित प्रमाण वर धारित नही होने के उपरान्त भी अपर अम्मी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है अथवा किसी भी कारण से पहिला में सफलता नहीं लगे चाहते हैं तो ऐसे आवेदकों को पहिला अपजल पर लगभग 01 महीना पूर्व ऑनलाईन आवेदन पर प्रत्याहति (Withdraw) कर सकेंगे। 30 दिवस के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हद्द सूचना को वेबडॉट की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक SSO Portal पर Login कर Requirement Section के अनुरोध संकेतों को समझा उपरान्त Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पर प्रत्याहति (Withdraw) कर सकेंगे। विद्यार्थी के अनुसार योजित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पर प्रत्याहति (Withdraw) नहीं करते बल्कि अपस्थिति के निष्पक्ष हद्दों द्वारा पात्रता प्राप्त उपरान्त अधिक सम्मान प्रदायिका की जायेगी।

15. विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/कृतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत आश्रित पत्र में दिमागज/विशेष आवश्यक श्रेणी पर जाने वाले छात्रों को अनुसूचित संकेत विद्यार्थी का प्रवेश दिनें जहाँ का अभियांत्रिक यह रही है कि वह अनुसूचित की सुविधा प्राप्त करने के लिए पत्र/संकेत है। अनुसूचित की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यासी को अनुसूचित/विशेष आवश्यक श्रेणी की सामग्री किताब आसुतेह के अनुसार अभ्यासी को अनुसूचित की सुविधा देन नहीं करी।
2. ऐसे दिमागज अभ्यासी को पत्र में अनुसूचित सामग्री तब तक नहीं देन, जब तक कि वे **परिष्ठा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व** दिमागज का बाहिरि चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यासी एवं अनुसूचित को पत्र-पत्र, अनुसूचित के फोटो पहचान पत्र में दिमागज अभ्यासी के प्रमाण की प्रतिलिपि अनुसूचित को प्रस्तुत करी।
3. ऐसे दिमागज अभ्यासी को कोई/कंप्यूटरीकृत से अनुसूचित प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यासी को परिष्ठा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिमागज का बाहिरि चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यासी का पत्र-पत्र कंप्यूटरीकृत को प्रस्तुत करना होगा।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रसिद्ध या 40 प्रसिद्ध से अधिक निराक्षर) की बुद्धिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिस्टॉर्बिडिटी (रोगी हाथी की निराक्षरता – Both Arms) एवं संकेत में शामिल सभी वाले अभ्यासी को पत्र में दिमागज का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यासी एवं अनुसूचित को पत्र-पत्र के आधार पर अनुसूचित की सुविधा देी जायेगी। उन अभ्यासी के अलावा **Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के संकेत में लेखन बाधों में आसुतेह का चयन से सम्यक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी के अनुमतिपत्र प्रमाण-पत्र (वेब की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिमागज का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित का पत्र-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित की सुविधा देन होगी और/या हस्तिलेख सम्यक प्रदान किया जायेगा।****
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रसिद्ध से कम निराक्षर) की श्रेणी के मामले में अलगवर्ग के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी से अनुमतिपत्र प्रमाण-पत्र (वेब की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिमागज का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित की सुविधा और/या हस्तिलेख सम्यक प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यासी को अनुसूचित की सुविधा और/या हस्तिलेख सम्यक प्रदान करने के लिये परिष्ठा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ जायेगी से सम्यक कर्ता होना अनुसार अनुसूचित की सुविधा और/या हस्तिलेख सम्यक देन नहीं होगा।**
4. अनुसूचित चिकित्सी की परिष्ठा में एक बार ही वेबन हेतु अनुमान होगा। अनुसूचित के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं प्रमाण पत्रों का कोई भी वेबसाइट पर उपलब्ध करी। वेबसाइट पर उपलब्ध अनुसूचित संकेत दन निर्देशों को दिमागज का पत्र/हिसा प्रमाण जायेगी।

[illegible]

(कमशः)

17. समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर)–2026 हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम–

परीक्षा की स्कीम

विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं गणित, समसामयिक घटनाएँ, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी।	120	240	02.30 HR

नोट :-

1. सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
2. किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के पूर्णांक का एक-तिहाई (1/3) भाग नकारात्मक अंकन किया जायेगा।

Note :-

1. All questions will be multiple choice and will carry equal marks.
2. There will be negative marking of one-third (1/3) of the total marks for each wrong answer.

पाठ्यक्रम विवरण

राजस्थान का इतिहास

- प्रमुख प्राचीन सभ्यताएँ और पुरातात्विक स्थल।
- प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ।
- 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण।
- प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व।

History of Rajasthan

- Major ancient civilizations and archaeological sites.
- Prominent rulers and their achievements.
- The Revolt of 1857, peasant movements, tribal movements, Praja Mandal movements and the Integration of Rajasthan.
- Prominent historical personalities.

राजस्थान की कला और संस्कृति

- स्थापत्य एवं चित्रकला।
- लोक संगीत, वाद्य संज्ञ, नृत्य, नाटक।
- प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता।
- सामाजिक जीवन: वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, श्रुति-विवाह और परंपराएँ।
- भाषा, कविता और साहित्य।
- कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व।

Art and Culture of Rajasthan

- Architecture and painting.
- Folk: music, musical instruments, dance, and theatre.
- Major religious sects and folk deities.
- Social life: Dresses, ornaments, fairs, festivals, customs, and traditions.
- Language, dialects, and literature.
- Prominent personalities in the fields of art and culture.

भारत का भूगोल

- भारत के भौतिक स्वरूप : पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान
- प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर
- वन्य जीव एवं अभयारण्य
- आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन

Geography of India

- Physical features of India: Mountains, Plateaus, Deserts and Plains
- Major Rivers, Dams, Lakes and Oceans
- Wildlife and Sanctuaries
- Disaster Management and Climate change

राजस्थान का भूगोल :-

- राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप
- जलवायु वशाएँ
- प्राकृतिक वनस्पति
- प्रमुख मृदाएँ
- नदियाँ, बांध एवं झीलें
- राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन : खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल-संसाधन
- पशु सम्पदा
- वन्य जीव, अभयारण्य एवं संरक्षण
- जनसंख्या : वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात
- प्रमुख जनजातियाँ
- राजस्थान में पर्यटन

Geography of Rajasthan

- Major physical features of Rajasthan
- Climatic conditions
- Natural Vegetation
- Major Soils
- Rivers, Dams and Lakes
- Natural resources of Rajasthan: Mineral resources, Forest resources, Water resources
- Livestock
- Wildlife, Sanctuaries and Conservation
- Population: Distribution, Growth, Density, Literacy and Sex ratio
- Major tribes
- Tourism in Rajasthan

(क्रमशः)



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

वीरता और स्वाभिमान
के अमर प्रतीक



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

महाराणा प्रताप जयंती

ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया (17 जून, 2026)



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

अदम्य साहस, अतुलनीय शौर्य
और मातृभूमि के प्रति अटूट
समर्पण के पर्याय

ॐ वीर शिरोमणि ॐ

महाराणा प्रताप

की जयंती पर उन्हें

शत-शत नमन

“

माँ भारती के लिए महाराणा प्रताप के
त्याग, पराक्रम और बलिदान की
अमर गाथा हर भारतीय के लिए
प्रेरणा का स्रोत है।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

”

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट उप निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

—संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं हैं।

—संपादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
अध्यक्ष संचालक
आयुक्त, कौशल, निवेश एवं उद्यमिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर
मुख्य, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव मोहनजी
उप निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता :- उप निदेशक (प्रकाशन), दत्तात्रेय भवन परिसर,
सोपौनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड - 302001

e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in